

# कार्यालय : राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर

रारान्याअ/संस्था/नि.-वा.चा./एफ- /2020/ 55

दिनांक : 30.03.2021

## आवेदन/प्रार्थना पत्र तीन वाहन चालकों के पदों के विरुद्ध संविदा पर सेवानिवृत्त वाहन चालकों की समेकित पारिश्रमिक आधार पर भर्ती बाबत

राजस्थान सरकार, विधि एवं विधिक कार्य विभाग के पत्रांक 27(68)न्याय/ जयपुर दिनांक 26.03.2021 तथा राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ17(10)डीओपी/ए-11/94 दिनांक 08.02.2018 के तहत राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर हेतु स्वीकृत तीन वाहन चालकों के पदों (5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/पे लेवल-5,6 एवं 7) समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह 9100/- भर्ती हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र मय आवश्यक शर्तें संलग्न हैं। आवेदन पत्र मय शर्तें राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की वेबसाईट [rajasthanjudicialacademy.nic.in](http://rajasthanjudicialacademy.nic.in) पर उपलब्ध हैं। पूर्ण भरे हुये आवेदन पत्र दिनांक 07.04.2021 तक इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

### पुनर्नियुक्ति की शर्तें:-

1. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 भाग काटा जायेगा।
2. राजकीय कार्य से यात्रा करने पर यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञेय होगा।
3. पुनर्नियुक्ति सेवाएं 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
4. राजकीय हित में पुनर्नियुक्ति अवधि में एक वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक अभिवृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी।
5. पुनर्नियुक्ति के दौरान दूरभाष/मोबाईल/इन्टरनेट व्यय का पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
6. पुनर्नियुक्ति अवधि के दौरान कोई चिकित्सा व्यय पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 657'A'स 657'D'

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर/ग्रामीण जिला न्यायालय जोधपुर।
3. श्रीमान् जिला कलेक्टर, जोधपुर।
4. नोटिस बोर्ड समस्त उपरोक्त विभाग।

दिनांक  
30.3.2021  
निदेशक

दिनांक  
30.3.2021  
निदेशक

कार्यालय : राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर

वाहन चालकों के पदों के विरुद्ध राजकीय सेवानिवृत्त वाहन चालकों की समेकित पारिश्रमिक/सविदा आधार पर भर्ती हेतु आवेदन प्रारूप

शरान्याअ/संस्था/नि.-वा.चा./एफ- /2020/

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक : 07/04/2021 .  
प्रस्तुत करने की दिनांक: ...../04/2021

Latest  
Photograph

1. आवेदक/सेवानिवृत्त कर्मिक का नाम :- .....
2. पिता का नाम :- .....
3. माता का नाम :- .....
4. जन्म तिथि तथा उम्र दिनांक 01.10.2020 को :- .....
5. स्थायी निवास का पता :- .....  
.....  
.....
6. वर्तमान निवास का पता :- .....  
.....  
.....
7. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद व सेवानिवृत्ति दिनांक :-  
.....


अंतिम

8. सेवानिवृत्ति के समय अंतिम पदस्थापित कार्यालय का नाम एवं विभाग :-  
.....
9. वाहन चालन कार्य अनुभव वर्षों में :- .....
10. शैक्षणिक योग्यता :- .....
- .....
11. तकनीकी योग्यता (यदि हो) :- .....
12. चिकित्सकीय स्वास्थ्य संबंधित प्रमाण पत्र (शारीरिक एवं चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने का संलग्न):- .....
13. आधार नम्बर :- .....
14. अन्य कोई योग्यता :- .....
15. पी.पी.ओ. संख्या (प्रमाण पत्र संलग्न) :- .....
16. सेवानिवृत्ति आदेश संख्या दिनांक :- .....
- सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन एवं वेतनमान (ग्रेड-पै):- .....
17. घोषणा :-  
मैं ..... पुत्र /पुत्री श्री ..... उम्र ..... जाति .....  
..... निवासी ..... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई  
उक्त जानकारी मेरे निजी ज्ञान के अनुसार पूर्णतया सत्य है इसमें किसी भी प्रकार से कोई सूचना  
छिपाई/गलत नहीं दी गई है। मैं उक्त सूचना के संबंध में पूर्णतया जिम्मेदार हूँ/रहूंगा।

हस्ताक्षर प्रार्थी

स्थान :- .....

दिनांक :- .....



**विभाग का नाम : राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर**

क्रमांक: रारान्याअ/संस्था/नियुक्ति-वाहन चालक/2020

दिनांक ...../...../.....

**आदेश**

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 164ए के प्रावधान के अन्तर्गत श्री .....  
..... सेवानिवृत्त ..... (पदनाम) विभाग ..... (सेवानिवृत्ति के समय  
पदस्थापित) को विभाग ..... (पदस्थापन किये जाने वाले कार्यालय का नाम) में  
रिक्त ..... (पदनाम) के पद के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक ...../.....  
/..... के परिशिष्ट - 'क' के अनुसार निर्धारित समेकित पारिश्रमिक पर एक वर्ष अथवा नियमित कार्मिक  
उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए पुनर्नियुक्ति निम्न  
शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

**पुनर्नियुक्ति की शर्त:-**

1. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 भाग काटा जायेगा।
2. राजकीय कार्य से यात्रा करने पर यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञेय होगा।
3. पुनर्नियुक्ति सेवाएं 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
4. राजकीय हित में पुनर्नियुक्ति अवधि में एक वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक अभिवृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी।
5. पुनर्नियुक्ति के दौरान दूरभाष/मोबाईल/इन्टरनेट व्यय का पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
6. पुनर्नियुक्ति अवधि के दौरान कोई चिकित्सा व्यय पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

निदेशक

